संख्या-2/2017/906/78-2-2017-193आई.टी./2016

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
संस्थागत वित्त, नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राजस्व, पंचायतीराज, नगर विकास, ग्राम्य विकास, खाद्य रसद, वाणिज्य कर, दुग्ध विकास, गन्ना विकास, राज्य योजना आयोग, परिवहन, सहकारिता, ऊर्जा, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एवं आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त/महा निदेशक/ प्रबनध निदेशक/निदेशक, संस्थागत वित्त, सूचना, मण्डी परिषद, दुग्ध विकास, खाद्य एवं रसद, आबकारी, गन्ना, परिवहन, यूपीपीसीएल एवं सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी।

4- पोस्ट मास्टर जनरल, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अप्रैल, 2017

विषय:-दिनांक 14-04-2017 को प्रदेश मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं समस्त ग्राम पंचायतो में डिजिटल पेमेन्ट को बढावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के पत्र डी0ओ0नं0 एम-11099/18/2016- डीएम एण्ड ए, दिनांक 25-03-2017 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिजी-धन मेलों के अन्तर्गत लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) तथा डिजी-धन व्यापार योजना (डीवीवाई) द्वारा प्रदेश के नागरिकों एवं व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्टस करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा हैं।

2- प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु डिजी-धन मेलों का आयोजन किया जा रहा हैं। इन मेलो के अन्तर्गत दिनांक 25-12-2016 से दिनांक 14-04-2017 के मध्य, देश के अलग-अलग 100 शहरों में लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) एवं डिजी-धन व्यापार योजना (डीवीवाई) का आयोजन किया जा रहा हैं। वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से डिजी-धन मेलों का आयोजन प्रदेश के 05 जनपदों यथा-लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर में सफलतापूर्वक किया जा चुका हैं एवं दिनांक 06-04-2017 को जनपद आगरा मे एवं 8-4-2017 को जनपद इलाहाबाद में किया जाना हैं।

3- डिजी-धन मेलों मे प्रदेश के नागरिकों को लकी ग्राहक योजना एव व्यापारियों को डिजी-धन व्यापार योजना के अन्तर्गत लकी-ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया जा रहा है।

4- प्रदेश में डिजी-धन मेलों के सफल आयोजन के उपरान्त दिनांक 14-04-2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लकी ग्राहक योजना (डीवीवाई) के अन्तर्गत मेगा लकी ड्रा का आयोजन नई दिल्ली में अपराहन 4:00 बजे से 5:00 के मध्य किया जायेगा। इसके साथ ही डिजिटल पेमेन्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्वघाटन भी मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- डिजिटल पेमेन्टस के वृहद प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक नागरिकों/ व्यापारियों के मध्य जागरूकता हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 14-04-2017 को अपराहन 4:00 बजे से 5:00 के मध्य किये जाने वाले सम्बोधन को दूरदर्शन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में प्रसारित किया जाएगा।

6- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को बढावा दिये जाने के लिए किये गये अथक प्रयासों/क्रियाकलापों को आपके विभाग/ जनपद में विभिन्न कार्यक्रमो, मेलों, प्रमोशनल सामाग्रियों के माध्यम से दिनांक 14-04-2017 को प्रचारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाहिया अपेक्षित हैं:-

(क) नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा डिजिटल लिटरेसी हेतु समस्त जनपदो को रू0 5.00 लाख (बड़े जनपदो को रू0 10.00 लाख) जनवरी-फरवरी 2017 माह में सीधे उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित कराये गये है। जिन जनपदों को उक्त धनराशि प्राप्त नही हुई है, वे अपना खाता संख्या एवं प्रासंगिक विवरण नीति आयोग, भारत सरकार को सूचित कर, धनराशि हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करा लें। श्री आलोक कुमार, सलाहकार, नीति आयोग, भारत सरकार (मो0 8953477777 एवं ई-मेल alokkumar.up@ias.nic.in) इस कार्यक्रम हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के नोडल अधिकारी है।

(ख) जनपद स्तर पर नीति आयोग, भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु समस्त व्यय वहन किये जायेगे। धनराशि कम होने की दशा में जनपद स्तर पर डीईजीएस मद में उपलब्ध धनराशि से अधिकतम रू. 2.00 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है।

(ग) जनपद स्तर पर डीएसबीसी द्वारा भी व्ययों का भुगतान कराया जा सकता है इस हेतु बैंक ट्रान्जेक्शन फीस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) सभी ग्राम्य पंचायतो पर ग्राम्य पंचायत अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन कराया जाये तथा एक बड़ा टीवी लगवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का प्रसारण जन सामान्य को सीधा दिखाने की व्यवस्था करायी जाये।

(ड) जनपद/ तहसील स्तर पर उक्त कार्यक्रम जिलाधिकारी/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय द्वारा आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 14 अप्रैल 2017 को जनपद स्तर पर अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उसके साथ उक्त आयोजन को करा लें। उचित होगा कि बड़े सभागार/हाल में टीवी/वीडियोवाल की व्यवस्था कार्यक्रम हेतु सुनिश्चित करायी जाये।

(च) कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा तुरन्त जनपद स्तर पर एसडीएम, ग्राम्य पंचायत अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक आयोजित कर सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाये।

(छ) कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जाना होगा।

(ज) किसान मण्डी परिषद द्वारा तुरन्त मण्डल तथा जनपद स्तर के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(झ) सभी लाइसेन्सिंग अथोरिटिज जैसे उ0प्र0 वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग, निबन्धन विभाग इत्यादि को पूर्ण रूप से कैशलेस कराया जाना होगा। नीति आयोग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि गुजरात में जीएनएफसी का एक टाउनशिप पूर्ण रूप से कैशलेस कराया गया है। इसी प्रकार का प्रयास प्रदेश में भी किया जाए।

7- उक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागो द्वारा किये जाने वाले कार्यो एवं उत्तरदायित्त की सूची (संलग्नक-1) तथा आयोजन के संबंध में एक चेक लिस्ट (संलग्नक-2) भी पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त आयोजन से सम्बन्धित वीडियो/ कन्टेन्ट इत्यादि यूआरएल " http://niti.gov.in/content/digital-payments" पर उपलब्ध हैं। उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए श्री विश्वदीप श्रीवास्तव, हेड, एसईएमटी (मो0 7838431761 एवं ई-मेल vishwadeeps@meity.gov.in) पर सम्पर्क किया जा सकता हैं। यह भी उल्लेखनीय हैं, कि उक्त आयोजन के सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी प्रस्तावित हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि कृपया समय की कमी के दृष्टिगत शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः2/2017/906(1)/78-2-2017 तद‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ ।

2- सचिव, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ।

3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ ।

4- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन ।

5- श्री आलोक कुमार, सलाहकार, नीति आयोग भारत सरकार।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को।

7- संयुक्त सचिव, राज्य योजना आयोग, अनुभाग-1 योजना भवन, लखनऊ।

8- राज्य समन्वयक, सीईजी, उ0प्र0।

9- हेड एसईएमटी, उ0प्र0।

10- निदेशक, दूरसंचार विभाग, लखनऊ।

11- महाप्रबन्धक, बैंक आफ बडोदा, लखनऊ ।

12- महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ ।

13- चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, नेशनल पेमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मुम्बई।

14- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उ0प्र0 ।

15- श्री अविनाश वर्मा, अधिशासी निदेशक, इण्डियन आयल कारपोरेशन ।

16- राज्य प्रबन्धक, इफको ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

17- सीजीएम, यूपी ईस्ट एवं यूपी वेस्ट, बीएसएनएल ।

18- एडीजी, यूआईडीएआई, लखनऊ ।

19- प्रबन्धक, नायलेट, लखनऊ ।

20- स्टेट हेड, सीएससी एसपीवी ।

21- समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जन सेवा ।

22- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र विक्रम)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।